राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. आपराधिक विविध (पे.) संख्या 4580/2024

दिजेन्द्र सिंह पुत्र श्री प्रवीण टाक, उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी पहाड़गंज प्रथम, जोगमाया मंदिर के पास, मंडोर रोड, जोधपुर, राज.

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य, पीपी के माध्यम से
2. पेम्प सिंह पुत्र श्री मधु सिंह, निवासी पहाड़गंजप्रथम, पिपली चौक, सभा भवन के पास, मंडोर रोड, जोधपुर, राज.

----प्रतिवादीगण

अपीलार्थी(गण) के लिए : श्री विश्वास खत्री

प्रतिवादी(गण) के लिए : श्री गौरव सिंह, पीपी

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

आदेश (मौखिक)

01/08/2024

1. याचिकाकर्ता ने आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 74/2024 में विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संख्या 5, जोधपुर मेट्रो द्वारा पारित दिनांक 18.05.2024 के आदेश को रद्द करने की मांग की है, जिसके तहत विद्वान अदालत ने आपराधिक मूल मामला संख्या 2327/2022 में विद्वान विशेष महानगर मजिस्ट्रेट (एनआई अधिनियम मामले) संख्या 5, जोधपुर मेट्रो द्वारा पारित दिनांक 20.02.2024 के आदेश को बरकरार रखते हुए पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके तहत विद्वान ट्रायल कोर्ट ने याचिकाकर्ता द्वारा धारा 311 सीआरपीसी के तहत दायर आवेदन को खारिज कर दिया था।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता ने धारा 311 सीआरपीसी के तहत एक आवेदन पेश किया। विद्वान ट्रायल कोर्ट के समक्ष प्रतिवादी सं.2-शिकायतकर्ता से प्रदर्श सं.2, 3 और 4 के रूप में प्रदर्शित दस्तावेजों पर पुनः जिरह की मांग की गई क्योंकि उसके वकील की अनुपस्थिति में न तो उससे जिरह की

गई और न ही प्रतिवादी सं.2-शिकायतकर्ता की 1,50,000/- रुपये नकद उधार देने की वित्तीय क्षमता के संबंध में कोई जिरह की गई। उक्त आवेदन को विद्वान ट्रायल कोर्ट ने दिनांक 20.02.2024 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने विद्वान सत्र न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की, जिसे भी विद्वान ट्रायल कोर्ट के आदेश की पुष्टि करते हुए दिनांक 18.05.2024 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया। अतः यह याचिका।

3. सुनवाई हुई।

4. विद्वान ट्रायल कोर्ट ने याचिकाकर्ता के आवेदन को खारिज करते हुए कहा कि चूंकि याचिकाकर्ता-अभियुक्त ने स्वयं प्रतिवादी संख्या 2-शिकायतकर्ता की जिरह बंद कर दी है, इसलिए जिरह का अधिकार समाप्त हो गया है। इसलिए, मामले को याचिकाकर्ता-अभियुक्त के साक्ष्य के लिए तय किया गया था। इस प्रकार, याचिकाकर्ता-अभियुक्त को मामले में छोड़ी गई कमी को पूरा करने के लिए प्रतिवादी संख्या 2-शिकायतकर्ता से दोबारा पूछताछ करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, वह भी वकील के परिवर्तन के आधार पर। विद्वान सत्र न्यायालय ने भी विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं पाया और पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया।

5. आक्षेपित आदेश और इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत सामग्री का अवलोकन करने के बाद, मेरा मानना है कि न केवल यह याचिका बल्कि शिकायतकर्ता को दोबारा पूछताछ के लिए वापस बुलाने के लिए सीआरपीसी की धारा 311 के तहत दायर आवेदन भी याचिकाकर्ता की ओर से टालमटोल की रणनीति के अलावा और कुछ नहीं है। शिकायतकर्ता की जिरह मई, 2023 में हुई थी और धारा 311 सीआरपीसी के तहत आवेदन, जिसे खारिज कर दिया गया है, फरवरी, 2024 में बाद में विचार करके दायर किया गया था, वह भी तुच्छ कथनों के साथ कि पहले के विद्वान वकील ने जिरह ठीक से नहीं की थी।

6. उपरोक्त के मद्देनजर, मुझे दोनों निचली अदालतों द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिला। इसलिए, याचिका खारिज की जाती है।

7. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का भी निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा),जे

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।